

बिहार सरकार
राज्य आयुक्त निःशक्तता का कार्यालय,
पुराना सचिवालय, सिंचाई भवन परिसर, पटना।

पी०डब्ल्यू०डी० एक्ट 2016 की धारा-51 के तहत गैरसरकारी स्वयंसेवी संस्थाओं के निबंधन संबंधी निम्न सामाग्रियों का विवरण:-

1. सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट-21, 1860 के तहत प्रमाण-पत्र की प्रति।
2. वायलोज की सत्यापित प्रति।
3. गत तीन साल का अंकेक्षण प्रतिवेदन अभिप्रमाणित।
4. तीन साल का प्रगति प्रतिवेदन अभिप्रमाणित।
5. संस्था द्वारा लाभान्वित निःशक्तजनों की सूची।
6. स्मृति-पत्र।
7. संस्था के वर्तमान कार्यकारिणी समिति के सदस्य का नाम, पिता/पति का नाम, पता, पेशा एवं सदस्यों का छायाचित्र सहित।
8. कार्यालय का छायाचित्र सहित।
9. आवेदनकर्ता के आवेदन पत्र पर वर्तमान दूरभाष/मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल अंकित होना अनिवार्य है।

राज्य आयुक्त निःशक्तता
के आदेशानुसार।